कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क्र./एफ–Q/सा.प्र.वि./विविध/2020/392 भिलाई दिनांक 02/05/2020

//कारण बताओं सूचना//

प्रति,

श्री प्रकाश अग्रवाल,
राजस्व निरीक्षक (प्र.सहा.राजस्व अधि.)
जोन क्र.01, नेहरू नगर
नगर पालिक निगम, भिलाई

विषय :– **उच्चधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश का पालन में उदासीनता बरतने एवं अशोभनीय आचरण करने के संबंध में।**

—00—

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि आज दिनांक 01.05.2020 को श्री तरूण पाल लहरे उपायुक्त/नोडल अधिकारी भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा दिनांक 23.04.2020 श्री आनंद डोंगरे एवं श्री रमेश साहू पूर्व पार्षद निवासी मॉडल टाउन भिलाई के द्वारा अवैध निर्माण को तत्काल हटाये जाने के संबंध में उनके द्वारा व्हाटसअप में किये शिकायत आवेदन पर कार्यवाही किये जाने हेतु आपके व्हाटसअप में भेजा गया था। जिसके संबंध में श्री तरूण पाल लहरे उपायुक्त/नोडल अधिकारी भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा आज दिनांक 01.05.2020 को दोपहर 01:45 को की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी चाही जाने पर आपके द्वारा उच्चाधिकारी को अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी न बताते हुए उनके साथ अभद्रापूर्वक कथन किया गया। जो अशोभनीय आचरण है, उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के नियम (1)(2)(3) के विपरित है।

अतः पत्र प्राप्ति के 24 घण्टें के अंदर कारण बतांये की आपके द्वारा उच्चाधिकारी के निर्देश के पालन में उदासीनता बरतने एवं अशोभनीय आचरण करने के कारण क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावें ? समयावधि में समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही किया जायेगा।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

Scanned with CamScanner